जिला परिषद चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024
भाग-एक

1. (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत जिला परिषद चम्बा के अवधि 01/4/22 से 31/3/24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान जिला परिषद में निम्नलिखित अध्यक्ष /सचिव कार्यरत रहे :-

अध्यक्ष :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री महेश चन्द (कार्यवाहक)	01.04.2022 से 22.10.22
2.	श्री कंचन कुमार (कार्यवाहक)	23.10.2022 से 15.03.23
3.	श्री महेश चन्द (कार्यवाहक)	16.03.2023 से 18.02.24
4.	श्री मनीष चौधरी (कार्यवाहक)	19.02.2024 से 31.03.24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- जिला परिषद चम्बा, जिला चम्बा हि०प्र० के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**पैरा सं०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1.	4 (i)(ग)	सामान्य रोकड़ बही की बैंक समाधान विवरणी में वित्तीय वर्ष 22-23 व 23-24 के दौरान का असमाधान अन्तर (Unreconciled Difference)	6.15
2	4 (iv) (च)	15वां वित आयोग रोकड़ बही में प्रारम्भिक शेष को कम दर्शाने बारे	14.80
3	4 (iv) (ड०)	15वां वित आयोग रोकड़ बही की बैंक समाधान विवरणी में वित्तीय वर्ष 22-23 व 23-24 के दौरान का असमाधान अन्तर (Unreconciled Difference)	139.84
4	6	अनुदानों का अवरोधन	1531.79
5	7	यात्रा भत्ता के रूप में अधिक व अनियमित भुगतान	0.27
6	12(i)	पंचायत भवन के किराये से प्राप्त राशि का रोकड़ बही में इंद्राज न करने बारे	0.11
7	13	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	27.18
8	15	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना खरीद करना	0.36

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :- जिला परिषद् द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कोई विशेष कार्यवाही नही की गई। जिला परिषद् प्रशासन को पुनः परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र कार्यवाही

की जाए व अनुपालना से इस विभाग कों अवगत करवाया जाए। गत लम्बित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019

1	पैरा – 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त)
2	4(i) (क),(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा – 4(ii) (क) से (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा – 4(iv)(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा – 4(1)	निर्णीत - पुनः प्रारूपित	
6	पैरा – 5	अनिर्णीत	
7	पैरा – 6	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)	
8	पैरा – 7(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा – 8	अनिर्णीत	
10	पैरा – 9	अनिर्णीत	
11	पैरा – 10(i)	अनिर्णीत	
12	पैरा – 10(i)	अनिर्णीत	
13	पैरा–10(ii)	निर्णीत	(श्री काकू राम (J.E) से ₹43,422/- की वसूली कर ली गयी थी, जिसकी पुष्टि उपरान्त पैरे का निपटान कर दिया गया)
14	पैरा – 10(iii)	निर्णीत	(श्री जुग राम (J.E) से ₹43,422/- की वसूली कर ली गयी थी,जिसकी

			पुष्टि उपरान्त पैरे का निपटान कर दिया गया)
15	पैरा – 10(iv)	निर्णीत	(श्री राकेश कुमार (J.E) से ₹43,422/- की वसूली कर ली गयी थी,जिसकी पुष्टि उपरान्त पैरे का निपटान कर दिया गया)
16	पैरा – 10(v)	निर्णीत	(श्री अरुण (J.E) से ₹59,109/-की वसूली कर ली गयी थी,जिसकी पुष्टि उपरान्त पैरे का निपटान कर दिया गया)
17	पैरा – 11	अनिर्णीत	
18	पैरा – 12	निर्णीत	((श्री उपेन्दर शर्मा (A.E) से ₹11,406/- की वसूली कर ली गयी थी, तथा ₹25,044/- के टैक्सी बिलों को वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए गये, पुष्टि उपरान्त पैरे का निपटान कर दिया गया)
19	पैरा – 13	अनिर्णीत	
20	पैरा – 14	अनिर्णीत	
21	पैरा – 15	अनिर्णीत	
22	पैरा – 16	अनिर्णीत	
23	पैरा – 17	अनिर्णीत	
24	पैरा – 18	अनिर्णीत	

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

जिला परिषद चम्बा जिला चम्बा के अवधि 01/4/2022से 31/03/2024 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री प्रीतम चन्द, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30-09-2024 से 14-10-2024 के दौरान जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय चम्बा में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/22 , 01/24 व व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 03/23 08/23 को चयनित किया गया।

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदनका प्रारूपण जिला परिषद के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

जिला परिषद चम्बा जिला चम्बा अवधि 4/22 से 3/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7000/-आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 37 दिनांक 14-10-24 द्वारा सचिव जिला परिषद से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

सचिव जिला परिषद चम्बा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार जिला परिषद निधि के अवधि 4/22 से 3/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(i) सामान्य निधि रोकड़ बही :-(परिशिष्ट -1)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	46444321.52	308255932.00	354700253.52	50001069.00	304699184.52
2023-24	304699184.52	21149489.00	325848673.52	196063537.00	129785136.52

नोट :- दिनाँक 31.03.24 को जिला परिषद् कार्यालय द्वारा सामान्य रोकड़ बही में 13,09,78,189.52 का अंत: शेष दिखाया/लिया गया था , जो कि गलत था , अंतर का कारण निम्न समाधान विवरणी में दर्शाया गया है |

Bank reconcilation of General Cash Book with Financial Position statement and banks as on 31.03.24								
Balance as per Financial Position as on 31.03.24								**129785136.52**
Add :-	Excess / more Balance taken/shown in cash book (04/22 to 03/24)							1750671
Less :-	Less /short Balance taken/shown in cash book (04/22 to 03/24)							550852
Less :-	Less /short Balance taken (opening bal 01.04.22)							6766
	Balance as per Cash Books on 31.03.24							**130978189.52**
Less :-	Difference shown in previous Audit report 04/21 to 03/22 - Para 4 (K) and (kha)							
	difference in opening balance as on 01.04.21-- Cash book balance 22673804 and in bank balance 26250529 in HPSSC						48775	
	difference in opening balance as on 01.04.21 in HDFC						24244	
	Unreconciled difference Audit report 04/21 to 03/22 as per para 4 (kha)						6920	79939
Add :-	Payment made/entered in Cash book in March-24 but not debited from bank till 31.03.2024							
	CBP	Date in CB	Dr in Bank On	Bank	A/c No.	Particulars	Amount	
	107	05.03.24	01.04.24	HDFC	9961	Exgratia/DCRG	435530	
	108	20.03.24	01.04.24	HDFC	9961	Salary arrear	1975979	2411509

Add :-	Payment made/entered in Cash book in March-24 but not debited from bank till date							
	CBP	Date in CB	Bank	A/c No.	Particulars		Amount	
	274	26.04.22	HPSCB	2879	Water Bill		1024	1024
Less	less/short payment entered in Cash book							
	CBP	Date in CB	Bank	A/c No.	Particulars		Amount	
	313	13.10.22	ICICI Bank	412	Development work			
			Debited from bank			495000		
			Entered in Cash Book			49500	445500	445500
Less	less/short payment entered in Cash book							
	CBP	Date in CB	Bank	A/c No.	Particulars		Amount	
	12	28.12.22	HPSC Bank	2879	Water Bill			
			Debited from bank on 10.01.23			2949		
			Entered in Cash Book			2449	500	500
	Bank Interest not entered in Cash Book upto 31.03.24							
Add		**Date of credit**	**Bank Name**	**A/ c No**		**Entered on**	**Amount**	
		31.03.24	BOB	3716			121528	
		26.03.24	pnb	4248			139	
		30.03.24	Icici	436006			436006	
		31.03.24	Hdfc	610738			610738	
		31.03.24	Hpscb	77041			77041	1245452
	Balance							134110235.52
	Balance as per Bank /Pass Books as on 31.03.24							**133495429.52**
	Unreconciled Difference 04/22 to 03/24							**614806.00**

दिनांक 31-03-24 को बैंक में शेष :-

क्रम सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1.	HPSC Bank Chamba	17910102879	11192994
2.	HDFC Bank	50100065459961	67869011
3.	ICICI Bank	199201000412	36711531
4.	Bank of Baroda	51930100003716	17701211
5.	Punjab National Bank	1420000103184248	20683
		Total	**133495430**

Reconciliation of Financial Position and Cash book (General Cash Book) as on 31.03.24

Balance as per financial postion as on 31.03.24	**129785136.52**

Less Less /short opening balance taken in cash book

Opening Balance taken as on 01.04.22 (CBP-272)	4,64,37,555.52	-
Opening Balance should be taken as on 01.04.22	4,64,44,321.52	6,766.00

Add :- Excess Balance taken in Cash book due to totaling error

CBP	Date	Particulars		
302	04.10.22	Balance taken	60176124	
		Balance should taken	59976124	200000

		(Rs.200000/- exp not taken in totaling)		

11	23.12.22	Balance taken	47569438	
		Balance should taken	47564238	5200

15	10.01.23	Balance taken	45884874	
		Balance should taken	45865064	19810

21	08.02.23	Balance taken	43914885	
		Balance should taken	43913951	934

28	21.03.23	Balance taken	41676644	
		Balance should taken	41674233	2411

50	30.06.23	Balance taken	259552453		
		Balance should taken	258030137	1522316	
	(Total expdt of 24.06.23 of Rs. 1522316 not reduced from balances)				
			Sub total	**1750671**	**1750671**

Less :- Less balance taken in Cash Book due to totaling error

CBP	Date	Particulars	Amount		
313	04.10.22	Balance taken	51617622		
		Balance should taken	51686063	-68441	
313	13.10.22	Balance taken	48765336		
		Balance should taken	49210336	-445000	
31	29.03.23	Balance taken	308276048		
		Balance should taken	308278459	-2411	
84	07.12.23	Balance taken	164129609		
		Balance should taken	164164609	-35000	
			Sub total	**-550852**	**-550852**

Balance as per Cash Book as on 31.03.24	**13,09,78,189.52**

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) बी के अनुसार जिला परिषद रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना व बैंक समाधान विवरणी का तैयार करना तथा यदि कोई अन्तर है तो को रोकड़ बही में फुटनोट के रूप में कारणों सहित व्याख्या करना अनिवार्य है |

जिला परिषद के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नही किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया | अतः जिला परिषद द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना उपरोक्त नियम के विरुद्ध है | अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की वित्तीय स्थिति में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खाते हि०प्र० स्टेट cooperative बैंक खाता संख्या 17910102879 में दिनांक 01-04-21 को ₹48775 व एच०डी०एफ० सी० बैंक खाता संख्या 5010000654559961 में दिनांक 01-04-21 को ₹24244 का अन्तर पाया गया था जिसका कारण रोकड़ बही में स्पष्ट नहीं किया गया था |अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.03.22 को ₹6920/- का असमाधान अन्तर पाया गया जिसकी जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.03.24 को ₹ 6,14,806/- का असमाधान अन्तर (Unrecognciled Difference) पाया गया जिसकी जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य रोकड़ बही में योग करने में त्रुटियाँ तथा दैनिक शेष को कम/अधिक उठाने (Totaling error, error in carry forward of daily balances etc.) आदि के कारण रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति में ₹11,93,053/- (₹13,09,78,189 - ₹12,97,85,136) का अंतर पाया गया, जिसका पुर्ण विवरण "**परिशिष्ट-1**" में दिया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए |

(ड०) सामान्य रोकड़ बही के प्रारम्भिक शेष में राशि ₹0.07 लाख के अंतर बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सामान्य रोकड़ बही (स्व स्रोत व अनुदान) में निम्न विवरणानुसार दिनाँक 01.04.22 को प्रारम्भिक शेष राशि -₹6766/- से कम लिया गया था |

Particulars	Opening bal taken in Cash Book	Opening Balance (Actual)	Difference
General Cash Book	4,64,37,555.52	4,64,44,321.52	-6,7,66.00

इस सम्बध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 01 दिनाँक 01.10.24 द्वारा सचिव को अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 2667 दिनाँक दिनाँक 14.10.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि उपरोक्त राशि की जांच उपरान्त सही राशि को रोकड़ बहियों में दर्ज कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा | अत: रोकड़ बहियों में प्रारम्भिक शेष की सही राशि दर्ज कर कृत करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) विकास निधि (SFC) रोकड़ बही :- (परिशिष्ट-1)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	545903.00	9997.00	555900.00	250000.00	305900.00
2023-24	305900.00	5264.00	311164.00	150000.00	161164.00

दिनांक 31-03-24 को बैंक में शेष :-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	HPSC bank	17910109465	189649.82

SFC CASH BOOK BANK RECONCILATION AS ON 31.03.24

HPSC BANK A/C NO. 17910109465

Balance as per Cash book/Financial Position as on 31.03.24	**161164.00**

Less :- Opening balance as on 04.04.21 in cash book 5530953.80 and in bank 5459854 (545855.60) IN BANK — 71098.2

Less :- Unreconclied Difference as per audit report 04/21 to 03/22 Para 4(ii) (घ) — 89.74

Less :- Amount withdrawn in bank but not entered in cash book

Date	Amount
15.06.21	19329

19329

Add :- Amount credited in bank but not entered in cash book

Date	Amount
15.06.21	1275
15.06.21	3575
17.03.22	15950
17.03.22	18618

39418

Add :- Interest credited in bank but not entered in cash book

Date	Amount	
31.03.24	1315	1315

Add :-	Amount credited in bank but not entered in cash book on dated 06.04.22			78269.76
	Balance			**189649.82**
	Balance as per Bank as on 31.03.24			**189649.82**
	Difference			**0**

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) बी के अनुसार जिला परिषद रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना व बैंक समाधान विवरणी का तैयार करना तथा यदि कोई अन्तर है तो को रोकड़ बही में फुटनोट के रूप में कारणों सहित व्याख्या करना अनिवार्य है |

जिला परिषद के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नही किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया | अतः जिला परिषद द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना उपरोक्त नियम के विरुद्ध है | अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की वित्तीय स्थिति में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खाते हि०प्र० स्टेट cooperative बैंक खाता संख्या 17910109465 में दिनांक 01-04-21 को ₹71098.20 का अन्तर पाय गया था जिसका कारण रोकड़ बही में स्पष्ट नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में बैंक खाते में दिनांक 15.06.22, 17.03.22 को ₹39418.00 की राशि क्रेडिट हुई जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 तक नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की पुष्टि बैंक से करके रोकड़ बही के आय पक्ष में की जाने सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में दिनांक 15.06.21को ₹19329.00, की राशि डेबिट हुई जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 तक नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की पुष्टि करके रोकड़ बही के व्यय पक्ष में की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.03.22 को ₹89.74 का अन्तर दर्शाया पाया गया जिसकी जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस संदर्भ मे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड०) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक में दिनांक 31.03.24 को ₹1315.00 की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि का इंद्राज रोकड़ बही के आय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) पंचायत भवन रोकड़ बही:- (परिशिष्ट-1)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	38764.00	153.00	38917.00	22430.00	16487.00
2023-24	16487.00	0.00	16487.00	0.00	16487.00

दिनांक 31-03-24 को बैंक में शेष :-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	HPSC bank	17910103528	0

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) बी के अनुसार जिला परिषद रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना व बैंक समाधान विवरणी का तैयार करना तथा यदि कोई अन्तर है तो को रोकड़ बही में फुटनोट के रूप में कारणों सहित व्याख्या करना अनिवार्य है |

जिला परिषद के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नही किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया | अतः जिला परिषद द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना उपरोक्त नियम के विरुद्ध है | अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की वित्तीय स्थिति में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही के आय पक्ष दिनांक 15.06.21 को ₹92483 की सुधार प्रविष्टि की गई थी जोकि नहीं की जानी थी। अतः इस प्रविष्टि का औचित्य स्पष्ट किया जाये व समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खाते हि०प्र० स्टेट cooperative बैंक खाता संख्या 17910103528 में दिनांक 01-04-21 को ₹49503 का अन्तर पाया गया था जिसका कारण रोकड़ बही में स्पष्ट नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में दिनांक 24.08.21 को ₹1061, ₹759 की राशि डेबिट हुई जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 तक नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की पुष्टि बैंक से करके रोकड़ बही के आय पक्ष में की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में बैंक खाते में दिनांक 30.09.21, 31.12.21, 01.02.22 को क्रमशः ₹23513, ₹4000 ₹ 800 (Total ₹`28313.00) की राशि क्रेडिट हुई जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 तक नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की पुष्टि बैंक से करके रोकड़ बही के आय पक्ष में की जाने सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) 15वां वित्त रोकड़ बही(प्रिया सॉफ्ट अनुसार):- (परिशिष्ट-1)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	20961505.00	105233851.00	126195356.00	45326773.00	80868583.00
2023-24	80868583.00	0.00	80868583.00	39990429.00	40878154.00

नोट :- दिनाँक 31.03.24 को जिला परिषद् कार्यालय द्वारा 15वां वित्त रोकड़ बही में ₹4,23,58,337/- का अंत: शेष दिखाया/लिया गया था जो कि वित्तीय स्थिति से 14,80,183/- (4,23,58,337-4,08,78154) अधिक था, जिसका कारण जिला परिषद् द्वारा 01.04.22 को अथशेष 2,09,61,505/- की वजाय 2,24,41,688 लिया गया है |

15th FC CASH BOOK BANK RECONCILATION AS ON 31.03.24

BANK A/C NO. 919010077925633

	Balance as per Financial Position as on 31.03.24			**40878154.00**
Add :-	Opening balance as on 01.04.22 - Excess taken in Cash Book			
	Balance taken in Cash book as on 01.04.22		22441688	
	Balance to be taken on 01.04.22		20961505	1480183
	Balance as per Cash Book as on 31.03.24			**42358337**

Less :-	On 22.09.22 . Receipts amount entered in Cash Book but actullay not received in bank	42251059

Add :-	**Interest received in bank but not entered in Cash Book**			
		Date	Amount	
		01.07.22	284914	
		02.10.22	292498	
		01.01.23	361560	
		31.03.23	352549	
		01.07.23	436939	
		01.10.23	356689	
		01.01.24	301748	
		31.03.24	187086	2573983

Add :-	Amount received from GP Maluda by online on 13.12.23 but not entered in Cash Book	187086
	Balance	**2868347**
	Balance as per Bank as on 31.03.24	16852173
	Unreconciled difference	**-13983826**

दिनांक 31-03-24 को बैंक में शेष :-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	HPSC bank	919010077925633	16852173

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) बी के अनुसार जिला परिषद रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना व बैंक समाधान विवरणी का तैयार करना तथा यदि कोई अन्तर है तो को रोकड़ बही में फुटनोट के रूप में कारणों सहित व्याख्या करना अनिवार्य है |

जिला परिषद के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नही किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया | अतः जिला परिषद द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना उपरोक्त नियम के विरुद्ध है | अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की वित्तीय स्थिति में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण में पाया गया कि जिला परिषद् द्वारा 01.04.22 को 15वां वित्त रोकड़ बही में अथशेष ₹14,80,183/(2,24,41,688 - 2,09,61,505) से अधिक लिया लिया गया है , जिसकी अंकेक्षण में पुष्टि नही हो सकी |अत: इस सन्दर्भ में स्थिति/कारण स्पष्ट करते हुए, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में दिनांक 22.09.22 को रोकड़ बही में ₹ 4,22,51,059/-की प्राप्ति की प्रविष्टी की गयी थी , जोकि दिनाँक 31.03.24 तक बैंक खाते में प्राप्त नही हुई थी जिसकी जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में बैंक खाते में 2022-23 व 2023-24 के दौरान कुल 25,73,983/- ब्याज के रूप में प्राप्त/क्रेडिट हुए हैं जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 तक नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की पुष्टि बैंक से करके रोकड़ बही

के आय पक्ष में की जाने सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में बैंक खाते में दिनाँक 13.12.23 को ग्राम पंचायत मलुडा से ऑनलाइन 1,87,086/- प्राप्त/क्रेडिट हुए हैं जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 तक नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की पुष्टि बैंक से करके रोकड़ बही के आय पक्ष में की जाने सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड०) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.03.24 को ₹1,39,83,826/- का असमाधान अन्तर दर्शाया पाया गया जिसकी जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस संदर्भ मे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) 15वां वित रोकड़ बही के प्रारम्भिक शेष में राशि ₹14.80 लाख के अंतर बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार 15वां वित रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार दिनाँक 01.04.22 को प्रारम्भिक शेष राशि ₹14,80,183/- से अधिक लिया गया था |

Particulars	Opening bal taken in Cash Book	Opening Balance (Actual)	Difference
General Cash Book	2,24,41,688.00	2,09,61,505.002	14,80,183.00

इस सम्बध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 01 दिनाँक 01.10.24 द्वारा सचिव को अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 2667 दिनाँक 14.10.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि उपरोक्त राशि की जांच उपरान्त सही राशि को रोकड़ बहियों में दर्ज कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा | अत: रोकड़ बहियों में प्रारम्भिक शेष की सही राशि दर्ज कर कृत करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

{v} स्व: स्त्रोत+ब्याज :- (परिशिष्ट-2)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	16722193.00	4313973.00	21036166.00	4891142.00	16145024.00
2023-24	16145024.00	16131612.00	32276636.00	14615184.00	17661452.00

{vi} अनुदान :- (परिशिष्ट-2)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	51268300.52	409185960.00	460454260.52	90709130.00	369745130.52
2023-24	369745130.52	5023141.00	374768271.52	221588782.00	153179489.52

स्व स्त्रोत +अनुदान =1,76,61452.00 + 15,31,79,489.52 = **17,08,40,941.52**

4.1 सावधि जमा में निवेश न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार जिला परिषद में उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को जिला परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक,सहकारी बैंक में इस प्रकार निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम आय अर्जित की जा सके । अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि जिला परिषद के पास दिनांक 31-03-24 को **स्व: स्त्रोत्र निधि खाते में ₹176.61** लाख की अत्यधिक राशि शेष थी यदि उक्त राशि में से उचित वित्तीय प्रबन्ध को ध्यान में रख कर सावधि जमा में निवेश किया जाता तो अर्जित ब्याज के रूप जिला परिषद को अधिक आय हो सकती थी।

5 . जिला परिषद् के लेखा पुस्तकों (Accounts Books) का E-Gramswaraj Application में रख रखाव न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC (7) e-PRI -24509-600 दिनाँक 03-04-2019 के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से समस्त जिला परिषद् के लेखों (रोकड़ बही) का संधारण मैन्युअल आधार पर पूर्णतय बंद करके इनका रख रखाव प्रिया सॉफ्ट एप्लीकेशन/ E-Gramswaraj Application में किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद द्वारा 15वा वित रोकड़ बही को छोड़कर अन्य सभी रोकड़ बहियों (सामान्य, विकास , पंचायत भवन) का संधारण मैन्युअल आधार पर किया जा रहा है जो उपरोक्त पत्र में दिए अनुदेशों के विपरीत है | अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि मैन्युअल खातों के संधारण के कारण रोकड़ बहियों बहुत सी गलतियाँ पाई गई जिनका विवरण सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी में दिया गया है , यदि लेखों का संधारण E-Gramswaraj Application में किया जाता तो इन गलतियों से बचा जा सकता था | इस सम्बध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 01-10-24 द्वारा सचिव जिला परिषद को अनुरोध किया गया व उनके प्रतिउतर पत्र संख्या 2668 दिनांक 14-10-24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कार्य की अधिकता के कारण वर्णित रोकड़ बहियों का संधारण E-Gramswaraj Application में नही किया जा सका तथा भविष्य में इनका रख रखाव E-Gramswaraj Application में कर लिया जाएगा | अत: तुरंत प्रभाव से लेखों का संधारण ऑनलाइन माध्यम से कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6. अनुदान का ₹1531.79 लाख का अवरोधन :-

जिला परिषद द्वारा अनुदान से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-2}** के अनुसार दिनांक 31-03-22 तक ₹15,31,79,490/- उपयोग हेतु शेष थी। जिला परिषद द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि जिला परिषद द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों/अन्य संस्थाओं को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। चर्चा दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि कि यह राशियाँ मानदेय, यात्रा भत्ता ,कार्यालय व्यय व विकास कार्यों से सम्बन्धित है जोकि सम्बन्धित संस्थाओं को शीघ्र जारी कर दी जाएगी। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. श्री उपेंदर शर्मा, AE को यात्रा भत्ते दावा ₹ .27 लाख के भुगतान में अनियमिताएं :-

निदेशक एवं विशेष सचिव(पंचायती राज) के पत्र संख्या: RDD-II-1-11/2018(Bud)-529-684 dated 04-05-19 के अनुसार जिला परिषद में कार्यरत सहायक अभियंताओं को विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु टैक्सी के किराये के भुगतान किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान वाउचर सं 141 दिनांक 27.03.23 के द्वारा श्री उपेन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता को अवधि 25.0221 से 31.12.22 तक के यात्रा भता बिल ₹ 27,411/- का भुगतान किया गया था। जिसमे निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

i.) उक्त यात्रा भत्ता से सम्बन्धित यात्रा दैनिंकी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गयी |

ii) उक्त यात्रा भत्ता बिल में से 380 कि०मी० की यात्रा 13.14 प्रति कि०मी० की दर से ₹ 4993/- के टैक्सी बिल का भुगतान विकास कार्यों के निरिक्षण के अतिरिक्त अन्य उदेश्यों के लिए की गयी यात्रा के लिए किया गया जो कि उक्त पत्र के अनुसार भुगतान हेतु स्वीकार्य नही है |

Date	Mode	KM	Rate	Amount	Purpose of Journey
24.04.22	Taxi	150	13.14	1971	To attend Hon,ble CM on hired Taxi
11.09.22	Taxi	75	13.14	985.5	Attended Awas Mela on hired taxi
12.09.22	Taxi	75	13.14	985.5	Attended Awas Mela on hired taxi
29.09.22	Taxi	80	13.14	1051.2	Attended Panchvati Inaguration by Hon. DS VS on hired taxi
		380		**4993.2**	

iii.) उक्त यात्रा भत्ता बिल में से 1413 कि०मी० की यात्रा के लिए ₹18,567/- का भुगतान जो कि विभिन्न विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु किया गया , जिससे सम्बन्धित टैक्सी बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 07.10.24 द्वारा सचिव जिला परिषद से अनुरोध किया गया व सचिव जिला परिषद के पत्र संख्या 2670 दिनांक 14.10.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त की से वसूली कर ली जायेगी व अन्य अनियमितताओं पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः सम्बन्धित से शीघ्र वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. NIELIT, शिमला को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के लिए किये भुगतान पर आयकर अधिनियम 194C के अन्तर्गत स्रोत पर आय कर कटौती (TDS) ₹0.01 लाख न करने के संदर्भ में :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194C के अनुसार यदि शहरी निकाय द्वारा अनुबंध के अनुसरण में एकमुश्त राशि ₹30,000/-से अधिक या पुरे वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर ₹1,00,000/- का भुगतान किया जाता है , तो व्यक्ति के केस में 1% तथा फर्म के केस में 2% स्रोत पर आय कर कटौती (TDS) अपेक्षित है |

व्यय के चयनित माह 03/23 व 08/23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार NIELET, शिमला को आउटसोर्स आधार पर रखे कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर 2% से स्रोत पर आय कर कटौती (TDS) नही की गयी थी |

NIELIT Shimla Centre

Sno	CBP	Vchr No & dt	Vchr Amount	Bill No and date	Period	Base Amount	IGST 18%	Total	TDS in Income Tax Act , Under Section 194C @2%
1	27	216 dt 21.03.23	14370	47963 dt 08.02.23	Jan-23	12178	2192	14370	244
2	64	216 dt 05.08.23	48291	49205 dt 15.05.23	Apr-23	13641	2456	16097	273
				50039 dt 20.06.23	May-23	13641	2456	16097	273
				50196 dt 11.07.23	Jun-23	13641	2456	16097	273
3	68	216 dt 21.08.23	16097	50720 dt 09.08.23	Jul-23	13641	2456	16097	273
								Total	**1335**

अतः नियमानुसार स्रोत पर आय कर कटौती न करने बारे तथ्यों से अवगत करवाने हेतु मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 05 दिनाँक : 07-10-2024 द्वारा सचिव से उठाया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या: 2670 दिनाँक : 14.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि स्रोत पर आय कर कटौती नहीं की गई है एवं भविष्य में यह कटौती सुनिश्चित की जाएगी। अतः अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित एजेंसी/ फर्मो से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए अन्यथा इस राशि की कटौती न करने को सक्षम प्राधिकारी से मामला उठा कर इसे नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार स्रोत पर आय कर कटौती सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि यदि सम्बन्धित विभाग (आयकर) द्वारा स्रोत पर आयकर की कटौती न किये जाने के कारण कोई दण्ड अथवा अधिभार लगाया जाता है जिला परिषद का तो नगर निगम मण्डी का DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) निजि रूप से इसके लिए जिम्मेवार होगा।

9. कालातीत (Time Barred) यात्रा भत्ता ₹0.03 लाख के भुगतान बारे :-

हि०प्र० वित्तीय नियम 2009 के नियम 174 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी का यात्रा भत्ता दावा बिल यात्रा पुर्ण होने की तारीख से उत्तरवर्ती तारीख को संदाय हेतु देय होगा। वह यात्रा भत्ता दावा इसके देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगा , ऐसा न होने पर यह समयहत (Stand forfeited) हो जाएगा |

व्यय के चयनित माह 03/23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार श्री राज कुमार (कनिष्ठ अभियंता) व श्री अरुण कुमार (कनिष्ठ अभियंता) द्वारा यात्रा भत्ता दावा बिल देय होने की तारीख के पश्चात भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये जो उपरोक्त नियम के अनुसार सही नही है |

Name of Claimant	TA. Claim pertained to the period	Date/ period upto T.A. claim should be received by DDO	Date of Receipt of claim at ZP Chamba	Date of payment	Amount
CBP-35 - Vcr No 168 dated 31.03.23 Vchr ₹ 41432/-					
Sh Raj Kumar JE	23.01.22	22.01.23	23.01.23	31.03.23	235
CBP-26 - Vcr No 139 dated 01.03.23 ₹ 17,452/-					
Sh Arun Kumar JE	06.01.22 to 09.02.22	05.01.23 to 08.02.22	10.02.23	01.03.23	2839
				Total	**3074**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 07.10.24 द्वारा सचिव जिला परिषद से अनुरोध किया गया व उनके प्रत्युत्तर पत्र संख्या 2670 दिनाँक : 14.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि दिनांक 17.9.22 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त मामले की छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी | अतः सक्षम प्राधिकारी से मामला उठा कर इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. श्रीमती नीलम कुमारी (जिला परिषद्, अध्यक्षा) को यात्रा भता दावा राशि ₹2160/- तथा श्री अनिल कुमार, ड्राईवर को ₹1204/- का अनियमित भुगतान

पूरक नियम 53(x) व हि०प्र० सरकार, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin (C) A(3) 20/80, dated the 12 March,1982, के अनुसार," When a Govt servant travels by Govt. Vehicle to outstation and return to his headquarters daily, the Govt Servant concerned can not draw full daily allowance at the rate applicable to the place to temporary duty. In such cases, the journey will have to be treated as local and regulated accordingly.

जिला परिषद् के माह 03/23 के व्यय के (वाउचर संख्या 140 दिनांक 21.03.23 ₹ 4272/- & ₹2405/-) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री मति नीलम कुमारी, जिला परिषद् अध्यक्षा तथा श्री अनिल कुमार , ड्राईवर को सरकार द्वारा प्रदान किए गए वाहन द्वारा विभिन्न स्थानों के दौरे के लिए पूर्ण दैनिक भते का भुगतान किया गया है । जोकि उपरोक्त नियम/वित विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुदेशों के अनुसार सही नही है | इस प्रकार श्री मति नीलम कुमारी, जिला परिषद् अध्यक्षा को ₹2160/- तथा श्री अनिल कुमार , ड्राईवर को ₹ 1204/- का अधिक भुगतान किया गया है , जिसका पुर्ण विवरण **{परिशिष्ट-3 }** में दिया गया है | यह अनियमितता अंकेक्षण हेतु चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अन्यों मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है | अतः चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों की जाँच-पड़ताल जिला परिषद अपने स्तर पर करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये तथा उपरोक्त अनियमिताओं का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है |

अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 08 दिनाँक 07.10.24 के उतर में सचिव द्वारा अंकेक्षण को उनके पत्र संख्या 2672 दिनाँक 14.10.24 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त के छानबीन उपरान्त कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा | अतः वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली की जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

11. लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15 %कमीशन की कटौती न करने बारे :-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या :2006/01-15Pub92-14623 दिनाँक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(AAP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हि०प्र० के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हि०प्र० के माध्यम से न छपवाए जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15 %कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक 220-60-300-में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

माह 08/23 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान जिला परिषद् द्वारा निम्न विवरणानुसार विज्ञापनों का प्रकाशन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हि०प्र० के माध्यम नही करवाया गया| जो कि सरकार के उक्त नियमों के प्रतिकूल है , जिसके कारण 15% की दर से कमीशन के रूप में ₹1,428/-(9,520 X 15%) की हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि हुई है।

CBP-63							
Voucher No./ dt.	**BILL NO./DATE**	**Date of Advdt.**	**Newspaper of Name**	**Basic Amount**	**GST**	**Total Amount**	**15% on Basic Amount**
216-dt 04.08.23	834 DT 29.07.23	29.07.23	Chamba Express	4760	240	5000	714
	23/D/005466 dt 29.07.23	29.07.23	Divya Hinachal	4760	240	5000	714
				9520	**480**	**10000**	**1428**

अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 6 दिनाँक 07.10.24 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा उनके पत्र संख्या 2671 दिनाँक 14.10.24 के द्वारा अंकेक्षण सूचित किया गया कि भविष्य में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाते समय उपरोक्त नियमों का पालन किया जाएगा| अत: भविष्य

में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाते उपरोक्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

12. (i)पंचायत भवन से किराये से प्राप्त ₹0.11 लाख का रोकड़ बही में इंद्राज न करने बारे :-

पंचायत भवन के बुकिंग रजिस्टर/रसीद बुक आदि रिकॉर्ड के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान बुकिंग रजिस्टर में दर्ज निम्न विवरणानुसार ₹ 22,600/- की राशि कमरों के किराये से प्राप्त हुई थी , लेकिन जिला परिषद द्वारा रोकड़ बही में केवल ₹ 11,500/- की एक प्रविष्टी दिनाँक 11.03.24 को दर्ज की थी तथा शेष ₹ 11,100/- का इंद्राज रोकड़ बही में नही किया गया था तथा न ही हस्तगत राशि के रूप में दिखाया गया था |

Sno	Register Page No	Date of Arrival	Date of Departure	Stay No of days	Amount
1	204	04.04.22	06.04.22	2	600
2	204	18.05.22	19.05.22	1	300
3	204	11.07.22	Not mentioned	1	400
4	204	20.07.22	21.07.22	1	300
5	204	28.10.22	29.10.22	1	400
6	204	07.12.22	08.12.22	1	600
7	204	26.12.22	27.12.22	1	500
8	204	29.02.24	01.03.24	1	500
9	205	13.02.24	14.02.24	1	500
10	205	29.02.24	06.03.24	6	3000
11	205	01.03.24	06.03.24	5	2500
12	205	03.03.24	04.03.24	1	500
13	205	04.03.24	07.03.24	3	1500
14	205	07.03.24	08.03.24	1	500

15	205	14.03.24	16.03.24	2	1000
16	205	15.03.24	16.03.24	1	500
17	205	17.03.23	18.03.24	1	500
18	205	18.03.24	19.03.24	1	500
19	206	18.03.24	19.03.24	1	1000
20	206	18.03.24	19.03.24	1	500
21	206	19.03.24	20.03.24	1	500
22	206	20.03.24	21.03.23	1	500
23	206	20.03.24	22.03.24	2	1000
24	206	20.03.24	21.03.24	1	500
25	206	20.03.24	21.03.24	1	500
26	206	21.03.24	22.03.24	1	500
27	206	21.03.24	22.03.24	1	500
28	206	22.03.24	23.03.24	1	500
29	207	22.03.24	23.03.24	1	500
30	207	26.03.24	27.03.24	1	500
31	207	30.03.24	31.03.24	1	1000
				Total	**22600**
			Entered in Cash book on 11.03.24		11500
				Balance	**11100**

पंचायत भवन से प्राप्त किराये की प्रति दिन के आधार पर रोकड़ बही में इंद्राज न करना तथा कम राशि का इंद्राज करने सम्बन्धित अनियमितता के सम्बध में अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 04 दिनाँक 03.10.24 द्वारा सचिव को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर नही दिया गया | इस प्रकार पंचायत भवन से प्राप्त किराये की प्रति दिन के आधार पर रोकड़ बही में इंद्राज न करना तथा ₹ 11,100/- की राशि का इंद्राज न करना एक गंभीर अनियमितता है , जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए ₹11,100/- की उचित स्रोत से वसूली

कर जिला परिषद के बैंक खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व पंचायत भवन से प्राप्त किराये का इंद्राज प्रतिदिन आधार पर रोकड़ बही में इंद्राज कर बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए |

(ii) पंचायत भवन रजिस्टर के रख रखाव में पाई गई अनियमिताएं :-

पंचायत भवन चम्बा के रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रजिस्टर का संधारण सही तरीके से नही किया जा रहा , तथा अंकेक्षण के दौरान निम्न त्रुटियाँ पाई गयी |

1. पंचायत भवन में ठहरने वाले यात्रियों से प्राप्त किराये की राशि की रसीदे जारी नही की जा रही , अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान कुल 32 यात्रियों का विवरण दर्ज था, जिसमें से केवल 4 यात्रियों को (माह 03/24 में) ही रसीदें जारी की गयी |

2. रसीद संख्या "5" व "8" रसीद बुक नही पाई गयी |

3. **रसीद संख्या 7 दिनांक 16.03.24** को जारी की गयी जबकि **रसीद संख्या 9 दिनांक 04.03.24** को तथा **रसीद संख्या 11 दिनांक 11.03.24** को जारी की गयी है |

4. दिनांक 16.03.24 को रसीद संख्या 7 (वसूली किराया- दिनाँक 14/03/24 से 16/03/24) को श्री चमन दत्त के नाम से जारी किया गया है जबकि रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 14/03/24 से 16/03/24 के दौरान श्री चमन दत्त नाम से कोई व्यक्ति पंचायत भवन में नही रुका था |

5. रसीद संख्या "10" की original रसीद (blank) खाली पाई गयी जबकि कार्बन कॉपी रसीद बुक में नही पाई हई |

7. इसके अतिरिक्त रजिस्टर में क्रम संख्या को नही लिखा गया, आगन्तुक के फ़ोन नम्बर, उनके पहुचने व प्रस्थान का समय, उनके हस्ताक्षर, यात्रा का उदेश्य आदि को भी कई जगह दर्शाया नही गया है|

उपरोक्त अनियमितता के सम्बध में स्पष्टीकरण हेतु अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 04 दिनाँक 03.10.24 द्वारा अनुरोध किया गया , लेकिन जिला परिषद् कार्यालय द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई संतोषजनक उतर नही दिया | अत: उक्त अनियमिताओं के सम्बध में स्थिति स्पष्ट करें तथा पंचायत भवन के बुकिंग रजिस्टर का नियमानुसार संधारण करना सुनिश्चित किया जाए |

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹ 27.18 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका की छाया प्रति सहित प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि जिला परिषद द्वारा अवधि 03/23 व 08/23 में **परिशिष्ट-4** अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों को ₹ 27,18,123/- राशि विभिन्न निधियों से निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई थी परन्तु इन राशियों के व्यय सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका की छाया प्रतियाँ/अस्सेस्मेंट इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जारी राशियाँ व उनके उपयोग व बकाया राशि की सत्यता की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 14.10.24 द्वारा सचिव जिला परिषद को अनुरोध किया गया व उनके प्रत्युत्तर पत्र संख्या 2675 दिनांक 14.10.24 के द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पर शीघ्र कार्रवाई करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा उतर संतोषजनक नहीं है। अतः सम्बन्धित पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेखों को प्राप्त कर सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. सहायक अभियन्ता द्वारा 10 %परीक्षण जांच व माप पुस्तिकाओ को प्रतिहस्ताक्षरित न करने बारे

हि०प्र पंचायती राज वित,बजट,लेखा सम्परीक्षा, सकर्म , कराधान और भते नियम 2002 के नियम 104 ii के अनुसार पंचायत समिति व जिला परिषद् द्वारा अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में ,कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 100% परीक्षण जांच तथा सम्बद्ध सहायक अभियन्ता द्वारा दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम) 101स (के अनुसारकनिष्ठ अभियन्ताओं की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है |

वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि सम्बद्ध सहायक अभियन्ता द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित नही की गयी तथा न ही माप पुस्तिकाओं को प्रतिहस्ताक्षरित करवाया गया जो कि उपरोक्त नियम के प्रतिकूल है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 09 दिनाँक : 07-10-2024 द्वारा सचिव , जिला परिषद् से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ,परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अतः उक्त अनियमितताओं पर नियमानुसार कार्रवाई कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.36 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना जाँच के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹36,330/-** लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

S.no	Cash Book Name	CBP/ Vcr No & Date	Supplier/Vender	Item purchased	Amount
1	General Cash Book	CBP-26 Vcr No-38 Date 01.03.23	M/s Kavya Stationary & Computer Solution Chamba Bill no. 349, 351 dated 23.02.23 & 24.02.23	Computer repair/software installation etc	4100
2	General Cash Book	CBP-31 Vcr No 154 Date 29.03.24	M/s Malhotra Gen Store Bill No. 1440,1443,144 dt	Purchase of Sanitation/ cleaniness material	13,874

			10.03,17.03 & 18.03.23		
3	General Cash Book	CBP-31 Vcr No 154 Date 29.03.24	M/s PLAHA BAGS & LUGGAGE HUB CHAMBA Bill No. 40 dated 07.03.23	Purchase of executive Diary	2250
4	General Cash Book	CBP-31 Vcr No 154 Date 29.03.24	M/s Arti Traders Chamba Bill No. 1966 dated 14.03.23	Atithi Satkar/consumable material	4205
5	General Cash Book	CBP-31 Vcr No 154 Date 29.03.24	M/s Sukeja Enterprises Bill No SEWS 1796 dt 02.03.23	Misc hardware/Electricla material	1450
6	General Cash Book	CBP-63 Vcr No 216 Date 04.08.23	M/s Harjeet Brothers Bill No. 2285 dt 26.07.23	Vehicle repair	10,451
				Total	**36,330**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण कि अधियाचना संख्या 10 दिनांक 07.10.24 के प्रत्युतर में सचिव ने सूचित किया कि भविष्य में स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पुर्ण करने के उपरान्त ही किया जाएगा तथा क्रय किये स्टॉक/स्टोर का सम्बन्धित रजिस्टर में इंद्राज भी कर लिया जाएगा | अत: भविष्य में स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पुर्ण करने के उपरान्त ही किया जाए तथा क्रय सामग्री का सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत जिला परिषद द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 07 दिनांक 07-10-24 द्वारा सचिव जिला परिषद को अनुरोध किया गया व सचिव जिला परिषद के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 2671 दिनांक 14.10.24 के द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निम्न अभिलेख को तैयार करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम स.	प्रारूप	रजिस्टर अभिलेख का नाम	नियम
1.	4	रसीद बुक का स्टॉक रजिस्टर	13(5)
2.	9	अस्थाई अग्रिमो का स्टॉक रजिस्टर	30
3.	13	बिल प्राप्ति रजिस्टर	48
4.	23	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	61(1)
5.	31	तकनीकी जाँच पड़ताल व तकनीकी स्वीकृति व मंजूरी रजिस्टर	131
6.	-	यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर	-
7.	-	चिकित्सा भत्ता बिल रजिस्टर	-
8	-	अनुदान रजिस्टर	-
9.	-	खाता बही	-

17 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत जिला परिषद के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 07 दिनांक

07-10-24 द्वारा सचिव जिला परिषद को अनुरोध किया गया व सचिव जिला परिषद के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 2671 दिनांक 14.10.24 के द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में नियमानुसार भण्डार का सत्यापन करवा कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

19 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 10.3.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

11 MAR 2025 का0/60 1487-1490

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 50/2020 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चम्बा जिला चम्बा, हि0प्र0।
3 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत 4 जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद चम्बा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 MAR 2025

का0/60

(कृष्ण लाल नेगी) 10.3.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट- '2' - पैरा सं॰ 4(i),(ii)(iii),(iv) के सन्दर्भ में

Financial Position of Geneal Cash Book as on 31.03.24

Year	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Bal
2022-23	46444321.52	308255932.00	354700253.52	50001069.00	304699184.52
2023-24	304699184.52	21149489.00	325848673.52	196063537.00	129785136.52

Financial Position of 15th CFC as on 31.03.24

Year	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Bal
2022-23	20961505.00	105233851.00	126195356.00	45326773.00	80868583.00
2023-24	80868583.00	0.00	80868583.00	39990429.00	40878154.00

Financial Position of SFC Cash Book as on 31.03.24

Year	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Bal
2022-23	545903.00	9997.00	555900.00	250000.00	305900.00
2023-24	305900.00	5264.00	311164.00	150000.00	161164.00

Financial Position of Panchyat Bhawan Cash Book as on 31.03.24

Year	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Bal
2022-23	38764.00	153.00	38917.00	22430.00	16487.00
2023-24	16487.00	0.00	16487.00	0.00	16487.00

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट- '2'-पैरा सं० (V) व (VI) के सन्दर्भ में

FINANCIAL POSITION -OWN SOURCE FUND AS ON 31.03.24

Year	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Bal
2022-23	16722193.00	4313973.00	21036166.00	4891142.00	16145024.00
2023-24	16145024.00	16131612.00	32276636.00	14615184.00	17661452.00

FINANCIAL POSITION GRANT IN AID AS ON 31.03.24

Year	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Bal
2022-23	51268300.52	409185960.00	460454260.52	90709130.00	369745130.52
2023-24	369745130.52	5023141.00	374768271.52	221588782.00	153179489.52

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

Bank reconcilation of General Cash Book with Financial Position statement and banks as on 31.03.2024

	Balance as per Financial Position as on 31.03.24		**129785136.52**
Add :-	Excess / more Balance taken/shown in cash book (04/22 to 03/24)		1750671
Less :-	Less /short Balance taken/shown in cash book (04/22 to 03/24)		550852
Less :-	Less /short Balance taken (opening bal 01.04.22)		6766
	Balance as per Cash Books on 31.03.24		**130978189.5**
Less :-	Difference shown in previous Audit report 04/21 to 03/22 - Para 4 (K) and (kha)		
	difference in opening balance as on 01.04.21-- Cash book balance 22673804	48775	
	difference in opening balance as on 01.04.21 in HDFC	24244	
	Unreconciled difference Audit report 04/21 to 03/22 as per para 4 (kha)	6920	79939

Add :- Payment made/entered in Cash book in March-24 but not debited from bank till

CBP	Date in CB	Dr in Bank On	Bank	A/c No.	Particulars	Amount	
107	05.03.24	01.04.24	HDFC	9961	Exgratia/DCRG	435530	
108	20.03.24	01.04.24	HDFC	9961	Salary arrear	1975979	2411509

Add :- Payment made/entered in Cash book in March-24 but not debited from bank till

CBP	Date in CB	Bank	A/c No.	Particulars	Amount	
274	26.04.22	HPSCB	2879	Water Bill	1024	1024

Less less/short payment entered in Cash book

CBP	Date in CB	Bank	A/c No.	Particulars		Amount	
313	13.10.22	ICICI Bank	412	Development work			
		Debited from bank			495000		
		Entered in Cash Book			49500	445500	445500

Less less/short payment entered in Cash book

CBP	Date in CB	Bank	A/c No.	Particulars		Amount	
12	28.12.22	HPSC Bank	2879	Water Bill			
		Debited from bank on 10.01.23			2949		
		Entered in Cash Book			2449	500	500

Bank Interest not entered in Cash Book upto 31.03.24

Add :-

	Date of credit	**Bank Name**	**A/ c No**		**Entered on**	**Amount**	
	31.03.24	BOB	3716			121528	
	26.03.24	pnb	4248			139	
	30.03.24	icici	436006			436006	
	31.03.24	hdfc	610738			610738	
	31.03.24	hpscb	77041			77041	1245452

Balance	134110235.52
Balance as per Bank /Pass Books as on 31.03.24	**133495429.52**
Unreconciled Difference 04/22 to 03/24	614806.00

HPSC Bank Chamba	17910102879	,17910102879	11192994
HDFC Bank	,50100065459961	,50100065459961	67869011
ICICI Bank	,199201000412	,199201000412	36711531
Bank of Baroda	,51930100003716	,51930100003716	17701211
Punjab National Bank	,1420000103184248	,1420000103184248	20683
		Total	**133495430**

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

39

Reconciliation of Financial Position and Cash book (General Cash Book) as on 31.03.24

Balance as per financial postion as on 31.03.24			**129785136.52**
Less :- **Less /short opening balance taken in cash book**			
Opening Balance taken as on 01.04.22 (CBP-272)	4,64,37,555.52		
Opening Balance should be taken as on 01.04.22	4,64,44,321.52		-6,766.00

Add :- Excess Balance taken in Cash book due to totaling error

CBP	Date	Particulars	Amount		
302	04.10.22	Balance taken	60176124		
		Balance should taken	59976124	200000	
		(Rs.200000/- exp not taken in totaling)			
11	23.12.22	Balance taken	47569438		
		Balance should taken	47564238	5200	
15	10.01.23	Balance taken	45884874		
		Balance should taken	45865064	19810	
21	08.02.23	Balance taken	43914885		
		Balance should taken	43913951	934	
28	21.03.23	Balance taken	41676644		
		Balance should taken	41674233	2411	
50	30.06.23	Balance taken	259552453		
		Balance should taken	258030137	1522316	
		(Total expdt of 24.06.23 of Rs. 1522316 not reduced from balances)			
			Sub total	**1750671**	**1750671**

Less :- Less balance taken in Cash Book due to totaling error

CBP	Date	Particulars	Amount		
313	04.10.22	Balance taken	51617622		
		Balance should taken	51686063	-68441	
313	13.10.22	Balance taken	48765336		
		Balance should taken	49210336	-445000	
31	29.03.23	Balance taken	308276048		
		Balance should taken	308278459	-2411	
84	07.12.23	Balance taken	164129609		
		Balance should taken	164164609	-35000	
			Sub total	**-550852**	**-550852**

Balance as per Cash Book as on 31.03.24	**13,09,78,189.52**

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

40

15th CFC CASH BOOK BANK RECONCILATION AS ON 31.03.24
AXIS BANK A/C NO. 919010077925633

	Balance as per Financial Position as on 31.03.24			**40878154.00**
Add :-	Opening balance as on 01.04.22 - Excess taken in Cash Book			
	Balance taken in CB as on 01.04.22		22441688	
	Balance to be taken on 01.04.22		20961505	1480183
	Balance as per Cash Book as on 31.03.24			**42358337**
Less :-	On 22.09.22 . Receipts amount entered in Cash Book but actullay not received in bank			42251059
Add :-	**Interest received in bank but not entered in Cash Book**			

Date	Amount
01.07.22	284914
02.10.22	292498
01.01.23	361560
31.03.23	352549
01.07.23	436939
01.10.23	356689
01.01.24	301748
31.03.24	187086

		2573983
Add :-	Amount received from GP Maluda by online on 13.12.23 but not entered in Cash Book	187086
	Balance	**2868347**
	Balance as per Bank as on 31.03.24	16852173
	Unreconciled difference	**-13983826**

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

15th CFC

Reconcilation of Financial Position V/s Cash Book as on 31.03.24

	Balance as per Financial position as on 31.03.24		40878154
Add :-	Opening balance as on 01.04.22 - Excess taken in Cash Book		
	Balance taken as on 01.04.22	22441688	
	Balance to be taken on 01.04.22	20961505	1480183

Balance as per Cash book on line maintained by ZP as on 31.03.24 42358337

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

SFC CASH BOOK BANK RECONCILATION AS ON 31.03.24
HPSC BANK A/C NO. 17910109465

	Balance as per Cash book/Financial Position as on 31.03.24		**161164.00**
Less :-	Opening balance as on 04.04.21 in cash book 5530953.80 and in bank 5459854 545855.60 IN BANK		71098.2
Less :-	Unreconclied Difference as per audit report 04/21 to 03/22 Para 4(ii) (घ)		89.74
Less :-	Amount withdrawn in bank but not entered in cash book		
	Date	**Amount**	
	15.06.21	19329	19329
Add :-	Amount credited in bank but not entered in cash book		
	Date	**Amount**	
	15.06.21	1275	
	15.06.21	3575	
	17.03.22	15950	
	17.03.22	18618	39418
Add :-	Interest credited in bank but not entered in cash book		
	Date	**Amount**	
	31.03.24	1315	1315
Add :-	Amount credited in bank but not entered in cash book on dated 06.04.22		78269.76
	Balance		**189649.82**
	Balance as per Bank as on 31.03.24		**189649.82**
	Difference		**0**

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

PANCHYAT BHAWAN CASH BOOK BANK RECONCILATION AS ON 31.03.24
HPSC BANK A/C NO. 17910103528

	Balance as per Cash book/Financial Position as on 31.03.24			**16487.00**
Less :-	Wrong correction entry made in cash book income side dt 15.06.21			92483
Add :-	Opening bal difference in cash book and pass book as per audit report 04/21 to 03/22			49503
Less :-	Payment made on dated 24.08.21 not entered in cash book		1061	
	Payment made on dated 24.08.21 not entered in cash book		759	1820
Add :-	Amount credited in bank but not entered in cash book			
		Date	**Amount**	
		30.09.21	23513	
		30.12.21	4000	
		01.02.22	800	28313
	Balance			**0.00**
	Balance as per Bank as on 31.03.24			**0**
	Difference			**0**

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट-3 पैरा संख्या '10' के संदर्भ में

Smt. Neelam Kumari - Chairperson
ZP CBP-27 Vchr No 140 dt 21.03.23
₹4272/-

Departure from HQ			Arrival back at H.Q.			DA Claimed 70% of 240	DA to be Claimed 35% of 240	Excess Amount Claimed	Place Visited
Station	Date	Hour	Station	Date	Hour				
Chamba	12.12.22	10.00 am	Chamba	12.12.22	5.30 pm	168	84	84	Bharira to Kohladi, Singi back Chamba
Chamba	16.12.22	9.40 am	Chamba	16.12.22	6.00 pm	168	84	84	Balera back Chamba
Chamba	21.12.22	9.40 am	Chamba	21.12.22	5.30 pm	168	84	84	Rinda back Chamba
Chamba	22.12.22	9.40 am	Chamba	22.12.22	6.30 pm	168	84	84	Kaila, Kanthali back Chamba
Chamba	26.12.22	9.45 am	Chamba	26.12.22	6.47 pm	168	84	84	Bharmour, Chobia back Chamba
Chamba	29.12.22	9.30 am	Chamba	29.12.22	6.18 pm	168	84	84	Devi Kothi back Chamba
Chamba	02.01.23	10.30 am	Chamba	02.01.23	4.30 pm	168	0	168	Mehla back Chamba
Chamba	06.01.23	8.30 am	Chamba	06.01.23	6.18 pm	168	84	84	Tikrigarh back Chamba
Chamba	09.01.23	8.40 am	Chamba	09.01.23	5.50 pm	168	84	84	Dharwala back Chamba
Chamba	12.01.23	9.20 am	stay Kakira			240	168	72	Kakira
Kakira	13.01.23	4.30 pm	Kakira	13.01.23	6.45 pm	240	168	72	Kakira back Chamba
Chamba	18.01.23	8.30 am	Chamba	18.01.23	6.45 pm	168	84	84	Bairagarh & back Chamba
Chamba	21.01.23	10.30 am	Chamba	21.01.23	7.00 pm	168	84	84	Simni, Bagdhar back Chamba
Chamba	23.01.23	8.30 pm	Chamba	23.01.23	6.00 pm	168	84	84	Samote and back Chamba

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

45

Chamba	27.01.23	11.30 am	Chamba	27.01.23	6.30 pm	168	84	84	Mangla Rinda back Chamba
Chamba	30.01.23	8.40 am	Chamba	30.01.23	6.00 pm	168	84	84	Banikhet, Salooni back Chamba
Chamba	03.02.23	8.40 am	Chamba	03.02.23	6.18 pm	168	84	84	Langra back Chamba
Chamba	04.02.23	10.18 am	Chamba	04.02.23	4.45 pm	168	84	84	Kohlari back Chamba
Chamba	07.02.23	10.30 am	Chamba	07.02.23	6.00 pm	168	84	84	Parotha back Chamba
Chamba	08.02.23	8.30 am	Chamba	08.02.23	6.00 pm	168	84	84	Lilh Kothi back Chamba
Chamba	10.02.23	10.30 am	Chamba	10.02.23	6.407 pm	168	84	84	Kuthed back Chamba
Chamba	13.02.23	8.30 am	Chamba	13.02.23	6.00 pm	168	84	84	Tissa , Dalhouise back Chamba
Chamba	15.02.23	10.30 am	Chamba	15.02.23	6.00 pm	168	84	84	Panela
Chamba	22.02.23	10.15 am	Chamba	22.02.23	6.45 pm	168	84	84	Saiye Kothi, Hiyad
Chamba	25.02.23	10.30 am	Chamba	25.02.23	6.00 pm	168	84	84	Langra back Chamba
						4344	**2184**	**2160**	

Smt. Anil Kumar , Driver
CBP-27 VCR NO. 140 dt
21.03.23 ₹2405/-

Departure from HQ			**Arrival back at H.Q.**			**DA rate**	**DA Claimed 70% of 130**	**DA to be Claimed 35% of 130**	**Excess Amount Claimed**	**Place Visited**
Station	**Date**	**Hour**	**Station**	**Date**	**Hour**					
Chamba	12.12.22	9.30 am	Chamba	12.12.22	5.30 pm	130	91	46	45	Bharira to Kohladi, Singi back Chamba
Chamba	16.12.22	9.30 am	Chamba	16.12.22	6.00 pm	130	91	46	45	Balera back Chamba
Chamba	21.12.22	9.30 am	Chamba	21.12.22	5.30 pm	130	91	46	45	Rinda back Chamba

Pritam Chand

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

46

Chamba	22.12.22	9.30 am	Chamba	22.12.22	6.30 pm	130	91	46	45	Kaila, Kanthali back Chamba
Chamba	26.12.22	9.45 am	Chamba	26.12.22	6.47 pm	130	91	46	45	Bharmour, Chobia back Chamba
Chamba	29.12.22	9.30 am	Chamba	29.12.22	6.18 pm	130	91	46	45	Devi Kothi back Chamba
Chamba	02.01.23	10.30 am	Chamba	02.01.23	4.30 pm	130	91	0	91	Mehla back Chamba
Chamba	06.01.23	8.30 am	Chamba	06.01.23	5.18 pm	130	91	46	45	Tikrigarh back Chamba
Chamba	09.01.23	8.40 am	Chamba	09.01.23	5.50 pm	130	91	46	45	Dharwala back Chamba
Chamba	12.01.23	9.15 am	stay Kakira			130	130	91	39	Kakira
Kakira	13.01.23	4.30 pm	Chamba	13.01.23	6.45 pm	130	130	91	39	Kakira back Chamba
Chamba	18.01.23	8.30 am	Chamba	18.01.23	7.00 pm	130	91	46	45	Bairagarh & back Chamba
Chamba	21.01.23	10.30 am	Chamba	21.01.23	7.00 pm	130	91	46	45	Simni, Bagdhar back Chamba
Chamba	23.01.23	8.30 am	Chamba	23.01.23	6.00 pm	130	91	46	45	Samote and back Chamba
Chamba	27.01.23	8.00 am	Chamba	27.01.23	6.30 pm	130	91	46	45	Mangla Rinda back Chamba
Chamba	30.01.23	8.30 am	Chamba	30.01.23	6.00 pm	130	91	46	45	Banikhet, Salooni back Chamba
Chamba	03.02.23	8.30 am	Chamba	03.02.23	6.18 pm	130	91	46	45	Langra back Chamba
Chamba	04.02.23	10.18 am	Chamba	04.02.23	4.45 pm	130	91	46	45	Kohlari back Chamba
Chamba	07.02.23	10.30 am	Chamba	07.02.23	6.00 pm	130	91	46	45	Parotha back Chamba
Chamba	08.02.23	8.30 am	Chamba	08.02.23	6.00 pm	130	91	46	45	Lilh Kothi back Chamba
Chamba	10.02.23	10.30 am	Chamba	10.02.23	6.37 pm	130	91	46	45	Kuthed back Chamba

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

47

Chamba	13.02.23	8.30 am	Chamba	13.02.23	6.00 pm	130	91	46	45	Tissa , Dalhouise back Chamba
Chamba	15.02.23	10.30 am	Chamba	15.02.23	6.15 pm	130	91	46	45	Panela
Chamba	16.02.23	10.18 am	Chamba	16.02.23	6.00 pm	130	91	46	45	Bhadiya, Jasuregarh back Chamba
Chamba	22.02.23	10.15 am	Chamba	22.02.23	6.45 pm	130	91	46	45	Saiye Kothi, Hiyad
Chamba	25.02.23	10.30 am	Chamba	25.02.23	6.00 pm	130	91	46	45	Langra back Chamba
							2444	**1240**	**1204**	

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

परिशिष्ट - '4' - पैरा सं० - 13 के सन्दर्भ में

Sno	Voucher No	Voucher Date	Name of Conxtruction Work	Head	Amount
1	XVFC/2022-23/P/700	13-03-2023	Panihar at Choulerna	XV Finance Commission	100000
2	XVFC/2022-23/P/703	17-03-2023	C/o Waste water nikas nali vill Mando GP Chobia	XV Finance Commission	100000
3	XVFC/2022-23/P/713	27-03-2023	purchase and installation dustbin at Garnota	XV Finance Commission	60000
4	XVFC/2022-23/P/714	27-03-2023	purchase and installation dustbin at Khargat	XV Finance Commission	60000
5	XVFC/2022-23/P/715	27-03-2023	CONST OF AMBULANCE ROAD AURA KHAD TO AURA VILLAGE	XV Finance Commission	150000
6	XVFC/2023-24/P/196	09-08-2023	C/o rural path bhagi house to lotan gp aura block bharmour	XV Finance Commission	100000
7	XVFC/2023-24/P/197	09-08-2023	C/o railing prem ratan house to gsss aura gp aura block bharmour	XV Finance Commission	100738
8	XVFC/2023-24/P/212	17-08-2023	Water Supply to villages	XV Finance Commission	80000
9	XVFC/2023-24/P/213	17-08-2023	Water Supply to villages	XV Finance Commission	100000
10	XVFC/2023-24/P/215	17-08-2023	Construction of Community Sanitary Complexes	XV Finance Commission	100000
11	XVFC/2023-24/P/216	17-08-2023	Drainage for transportation of wastewater from a group of villages to a common treatment unit	XV Finance Commission	43456
12	XVFC/2023-24/P/217	17-08-2023	Water Supply to villages	XV Finance Commission	90000
13	XVFC/2023-24/P/221	17-08-2023	C/o railing to dwaru mandir path gp biana block salooni	XV Finance Commission	100000
14	XVFC/2023-24/P/223	17-08-2023	C/o Rural Path at Pundla GP Kolka Block Mehla	XV Finance Commission	100000
15	XVFC/2023-24/P/224	17-08-2023	Drainage for transportation of wastewater from a group of villages to a common treatment unit	XV Finance Commission	100000
16	XVFC/2023-24/P/225	17-08-2023	Water Supply to villages	XV Finance Commission	100000
17	XVFC/2023-24/P/226	17-08-2023	Furniture at GPS kundidhaar gp singhadaar block salooni	XV Finance Commission	50000
18	XVFC/2023-24/P/227	17-08-2023	Furniture at SDP office salooni gp salooni block salooni	XV Finance Commission	50000
19	XVFC/2023-24/P/228	17-08-2023	Creation of a new source of drinking water	XV Finance Commission	143329
20	XVFC/2023-24/P/249	22-08-2023	Construction of Community Sanitary Complexes	XV Finance Commission	200000
21	XVFC/2023-24/P/251	22-08-2023	Creation of a new source of drinking water	XV Finance Commission	200000
22	XVFC/2023-24/P/252	22-08-2023	Creation of a new source of drinking water	XV Finance Commission	150000
23	XVFC/2023-24/P/253	22-08-2023	Providing piped water supply to public institutions	XV Finance Commission	100000
24	XVFC/2023-24/P/255	22-08-2023	Drainage for transportation of wastewater from a group of villages to a common treatment unit	XV Finance Commission	195600
25	XVFC/2023-24/P/256	22-08-2023	Water Supply to villages	XV Finance Commission	145000
				Total	**2718123**

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Secretary
Zila Parishad Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

49